बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

।। आदेश।।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में पैक्स के अध्यक्ष/प्रबंधक/शहद उत्पादक सहयोग समितियों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/बुनकर सहयोग समितियों के अध्यक्ष/प्रबंधक के प्रशिक्षण –सह–अध्ययन भ्रमण/कार्यशाला हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–185 दिनांक–26.06.2025 द्वारा राज्य योजना मद से प्रशिक्षण शुल्क के रूप में कुल अनुमानित रू० 2,61,34,320/– (दो करोड़ एकसठ लाख चौतीस हजार तीन सौ बीस) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी।

2. उक्त क्रम में संयुक्त निबंधक (यो०), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक–11195 दिनांक–09.12.2025 से प्राप्त सूचनानुसार वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पुणे में 600 पैक्स अध्यक्षों / प्रबंधकों का प्रशिक्षण हेतु **पूर्व में स्वीकृत व्यय की राशि रू 1,80,00,000/– के अतिरिक्त उस पर देय 18% GST के रूप में राशि रू 32,40,000/– (बत्तीस लाख चालीस हजार मात्र)** का भुगतान किया जाना है, जो पूर्व में संस्थान द्वारा प्रस्तुत मूल आकलन में शामिल नहीं किया गया था। संस्थान के पत्रांक–वीएम/पैक्स प्रशि. कार्य/2025/0816 दिनांक–23.07.2025 द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्राक्कलन के आलोक में पूर्व स्वीकृत राशि के अतिरिक्त 18% GST की राशि रू 32,40,000/– (बत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) मात्र का भुगतान किया जाना है। उक्त के आलोक में संशोधित कुल प्राक्कलित राशि रू 2,93,74,320/– (दो करोड़ तिरानबे लाख चौहतर हजार तीन सौ बीस) मात्र की विवरणी निम्नवत् हैः–

संस्थान का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	30 प्रतिभागी प्रति बैच की दर से बैच की संख्या	प्रति बैच प्रशिक्षण व्यय	कुल प्रशिक्षण व्यय	कुल यात्रा+ भोजन व्यय	सकल व्यय
(A)VAMNICOM, पुणे	600 पैक्स अध्यक्ष/प्रबंधक	20	9,00,000	1,80,00,000 + 32,40,000 (पर 18%GST) =2,12,40,000	15,00,000	2,27,40,000 (दो करोड़ सत्ताईस लाख चालीस हजार)
(B) ICM, तिरूवनंतपुरम	कुल 90 शहद उत्पादक समितियों के अध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	3 (तीन)	5,00,000	15,00,000	3,24,000	18,24,000 (अठारह लाख चौबीस हजार)
(C) ICM, चेन्नई	300 बुनकर सहयोग समितियों के अध्यक्ष अथवा प्रबंधक	10	3,97,032	39,70,320	8,40,000	48,10,320 (अड़तालीस लाख दस हजार तीन सौ बीस)
कुल	सभी A+B+C का कुल प्रशिक्षण + अध्ययन भ्रमण व्यय = रू 2,93,74,320/– (दो करोड़ तिरानबे लाख चौहतर हजार तीन सौ बीस)					

इस प्रकार वर्त्तमान में उक्त योजना हेतु कुल प्राक्कलित राशि रू 2,93,74,320 (दो करोड़ तिरानबे लाख चौहतर हजार तीन सौ बीस) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जानी है, जो मूल प्राक्कलित राशि 2,61,34,320/– (दो करोड़ एकसठ लाख चौतीस हजार तीन सौ बीस) से लगभग 12.40% अधिक है।

3. वित्त विभाग के संकल्प सं०–12888 दिनांक 03.12.2024 के कडिका–8 (क) में यह प्रावधान अंकित है कि किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20% से कम या 20% तक की वृद्धि होने की स्थिति में संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिए पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा।

4. उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–09, मुख्य शीर्ष–2425–सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–003–प्रशिक्षण, उपशीर्ष–0104–सहकारी समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण हेतु व्यय, विपत्र कोड–09–2425000030104, विस्तृत शीर्ष–20–अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष–03–प्रशिक्षण व्यय के अंतर्गत विकलनीय होगी।

5. वर्णित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पैक्स के अध्यक्ष / प्रबंधक / शहद उत्पादक सहयोग समितियों के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / बुनकर सहयोग समितियों के अध्यक्ष / प्रबंधक के प्रशिक्षण–सह–अध्ययन भ्रमण / कार्यशाला हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–185 दिनांक–26.06.2025 द्वारा कुल स्वीकृत राशि ₹ 2,61,34,320 / – (दो करोड़ एकसठ लाख चौतीस हजार तीन सौ बीस) मात्र के स्थान पर राशि ₹ **2,93,74,320 / – (दो करोड़ तिरानबे लाख चौहतर हजार तीन सौ बीस)** मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

6. इस पर सचिव, सहकारिता विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–05 / नि० प्रशि०(प्रचार प्रसार)–33 / 2024......85....... / पटना, दिनांक..05/01/26

प्रतिलिपिः–प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निबंधक कार्यालय, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / अवर सचिव, प्रशाखा–03, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / IT Manager, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1 / 1521 / 05-01-2026

05.01.26
सरकार के अपर सचिव